

पत्रांक-6/अ-37/2001/11.2.2

झारखण्ड सरकार
माध्यमिक शिक्षा विभाग

प्रेषक,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा झारखण्ड, रौघी।

सेवा में,
सचिव,
सीनीवी०संस० ई० नई दिल्ली।

रौघी, दिनांक ७.८.२००१

विषय- झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत छांचालित विजी लाइसेंस विभागों को सीनीवी०संस० ई० नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापन्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,
उपर्युक्त विषय पर निदेशाचार रूपता है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा विद्यारोपान्तर राज्य के अन्तर्गत क्षेत्रान्तरालीन विभाग राय तरस्करी किए गए दूसरों द्वारा उपरोक्त जोड़मा को सीनीवी०ल००० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीये अंकित शर्तों एवं बन्धेभों के अधीन अस्थायी रूप से अनापन्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

1. - विद्यालय प्रबंधन द्वारा आवाज के अन्दर भूमि रूप संबंध के लिये निर्धारित मापांड दण्ड को पूरा कर लें।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धेभों के अन्तर्गत विभागीय अधिकारी संघरा 1055 दिनांक -

5. 9. 2001 के आधोक में विस्तारित शर्तों एवं बन्धेभों का अनुपालन करना
आवश्यक होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक वित्त अथवा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय आम अंजित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो अंजित होने के उद्देश्य से विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यालय ही कीर्तियों लो लम्ब से लम्ब राज्य सरकार में कार्यरत समक्ष कीर्तियों को देख बैठन एवं भर्ती के बाबाबर सुनिश्चित करना होगा।

2. - विद्यालय को किसी प्रजार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. - विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2५०००००० एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4५००००००० एकड़ शूष्मि विद्यालय के नाम से निर्बंधित या लम्ब से लम्ब 10 हेक्टेयर की जमीन पर होना चाहिए। यदि भविष्यत में जाँचोपरान्त विच्छिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापन्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा।

4. - विद्यालय में छिन्दी भाषा की पढ़ाई निवार्य स्पष्ट होनी चाहिए।

साथेव
कैलाश राय सरस्वती विद्या विभाग
महात्मा गांधीनगर, चुमरी तिलिया
कोडरमा

PRINCIPAL
Kailash Rai Saraswati Vidya Bhawan
Jhansi Telka, Kodaikanal
School No. 1639

5. नामांकन देते ही किसी प्रकार का डोमेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा के नीमे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीटें नामांकन के लिए सुरक्षित होगा जाय ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।
7. विद्यालय का कार्यक्रान्ति राष्ट्र के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के तांत्रिक मूल्यों ऐतिहासिक, भौगोलिक और आनंदिक ज्ञानवर्द्धक, ग्रारीरिक एवं व्याकृतिवृत्ति विकास देते साकारात्मक प्रयास करना होगा।
8. विद्यालय में छात्रों की सुचित संज्ञा एवं उनके अनुपात में विविध दोनों पाइये।
9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, वोगवता एवं नियुक्ति प्रणाली आदि में समय-समय पर राज्य सरकार सभीधोपरान्त संशोधन कर सकती।
10. विद्यालय में संघातन देते गठित नियमावली के आधार पर गठित ज्ञाती निकाय के सदस्यों की कायविधि पूर्ण होने पर सदस्यों की तृप्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी कायात्रिय में जमा जरना होगा।
11. राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्तिजित विभिन्न प्रकार के स्कॉलेन्स प्रोग्राम तथा एनोटीओटी, एनएसएसटी, स्काउट एवं गार्डड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्ण में निम्न बोर्ड से सम्बद्धता प्रमाण प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5. 9. 2001 के अनुसार शर्तों का पालन जरना होगा। अन्यथा उनापत्ति प्रवाण नाम वापस लेने का सवाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त शर्तों एवं बनेहों की अनुमति न करने की विविति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रवाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापत्ति प्रवाण पत्र के लिये विद्यालय द्वारा संपर्क जागेती एवं अधिकारी का जाती या घात्तिक विविति में भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य द्वित के पिस्त लिया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक क्षुत्ता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रवाण पत्र की विविति ले सकती है।
15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बनेहों हो अनुमति न ले जाना हो तथा जरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियन्त्रिताओं की जाँच करा सकती और जर्दीपरान्त अनुवर्त्ती कार्रवाई कर सकती।
16. एतद् विधयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय शारदांड उच्च न्यायालयराँधी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

कलाश राय सरस्वती विद्या परिषद
महात्मा गांधीनगर, झुन्नी तहसील
झुन्नी ज़िला बाहरा

३००३०

PRINCIPAL
K. R. Suresh
Jhunjhunu Government Secondary School

17. समय -ताम्र पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बद्धता संबंधी जो निर्णय लिये जायेगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शत्तों का उलंघन मानते हुए गनापति, प्राण-पत्र वापस लेने के लिए भाष-भाष अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती।

विद्यालयभाजन,

Chh. Lal Singh
निदेशक,

शूधाध्यायिक विद्या।

झारखण्ड, राँची।

कापांक... 11.29... / रॉपी, दिनांक... 9.5.2025

प्रतिज्ञिपि- संबंधित ख्रीष्ण उप विद्या निदेशक/संबंधित जिला विद्या पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक लागर्धि प्रेषित।

Chh. Lal Singh
निदेशक,

शूधाध्यायिक विद्या झारखण्ड

राँची।

कापांक... 11.97... / रॉपी, दिनांक... 9.5.2025

प्रतिज्ञिपि- याननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग झारखण्ड के जाँपत सचिव/ सचिव, गानव संसाधन विभाग विभाग झारखण्ड, रॉपी जो सूचनार्थ एवं आवश्यक लागर्धि प्रेषित।

Chh. Lal Singh
निदेशक,

शूधाध्यायिक विद्या झारखण्ड

राँची।

सचिव
कैलाश राय सरस्वती विद्या वनियर
महात्मा गांधीनगर, झुमरो तिलोया
कोडरमा



PRINCIPAL
Kaushal Ra Sarawati Vidya Mandir
Jhumri Telaiya, Kodarma (Jharkhand)
School No.-66393

14.3.2024